

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर  
निर्मला छाया भवन, मीरा दातार रोड, शांकर नगर, रायपुर (छग)



रायपुर, दिनांक 12/11/2012

आदेश

क्रमांक/396/2012, बंधक श्रमिकों के पुर्नवास योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृति आबंटन में से जिला जांजगीर-चांपा के 48 बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु प्रति श्रमिक रुपये 20,000/- के मान से (केन्द्रांश+राज्यांश) राशि रुपये 9,60,000/- (रु. नौ लाख साठ हजार मात्र) का आबंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त राशि मांग संख्या-18, शीर्ष-2230 - श्रम और रोजगार, (01)-श्रम (112) बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास, 0701 - केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (2837) बंधक मजदूरों की पुर्नवास योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 326/00001685/ब-1/चार, दिनांक 11.11.2011 एवं क्रमांक एफ-00001685/ब-1/चार, दिनांक 23.11.2011 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित)

सहायक श्रमायुक्त  
श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर

पृ. क्रमांक/18/बा.श्र./2012/863,  
प्रतिलिपि -

रायपुर, दिनांक 12.11.12,

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जांजगीर-चांपा की ओर प्रेषित कर लेख है कि यह राशि आहरण कर रुपये 20,000/- प्रति श्रमिक के मान से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत बंधक श्रमिकों के पुर्नवास संबंधी कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. कोषालय अधिकारी, जांजगीर-चांपा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रम पदाधिकारी, जांजगीर-चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. लेखा शाखा (बजट) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

सहायक श्रमायुक्त  
श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर